[30/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र.3669]

विधान सभा प्रश्न क्रमांक - 3669 परिशिष्ट

जातियों को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
2. सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो की श्रेणी में आते हों।
3. जिनका उल्लेख पिछड़ी हुई या निम्न स्तर का कार्य करने वाली या शिल्पकार अथवा किसी विशेष हुनर के साथ पृथक पेशे को अपनाने वाली जाति / वर्ग के रूप में वर्ष 1911, 1921 अथवा 1931 की जनगणनाओं में हुआ हो।
4. आवेदित जातियों ने पूर्व महाजन आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था अथवा नहीं, यदि किया था तो महाजन आयोग द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया ?
5. आयोग द्वारा यह भी परीक्षण किया जाता है कि अन्य राज्यों की पिछड़ा वर्ग सूची में आवेदित जाति की स्थिति क्या है ?

इसके अतिरिक्त,

1. हिन्दू समाज की पारम्परिक जाति व्यवस्था में निम्न सामाजिक स्थिति तथा दूसरों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी मानी जाने वाली जातियां / वर्ग।
2. पिछड़े वर्ग एवं जातियों की आम आर्थिक स्थिति, जिसके कारण उसके पास जमीन, मकान व सम्पत्ति खरीदने का धन उपलब्ध नहीं है।
3. पिछड़े वर्गो व जातियों के परम्परागत धंधे, व्यवसाय व पारम्परिक मान्यताओं के अनुसार ही माने जाने वाले आजीविकाएं जो उनकी मेहनत की तुलना में अलाभकारी होने के साथ ही हेय व निम्न स्तर की मानी जाती हैं तथा अपनी आजीविका के लिये पूर्ण रूप से शारीरिक श्रम पर निर्भर हो व उनकी महिलाऐं काम में योगदान देती हो।
4. शासकीय सेवा में अपर्याप्त अथवा कोई भी प्रतिनिधित्व न होना।
5. पिछड़े वर्गो व जातियों का निवास स्थान, रहन-सहन व उनकी आवास व्यवस्था जो अधिकांशतः निर्जन व एकांत में बसे सुदूर ग्रामीण अंचलों में कच्चे मकानों में निवास करते हैं।
6. राजनीतिक क्षेत्र में अपर्याप्त एवं कोई भी प्रतिनिधित्व का न होना।

7. वे जातियां / वर्ग जिनमें 17 वर्ष से कम आयु के पुरूष व महिलाओं का विवाह होता हो।

8. वे जातियां / वर्ग जहां ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या बहुत अधिक हो।

आयोग ने गैर हिन्दू अन्य पिछड़े वर्गो की पहचान के लिए जो मापदंड मान्य किए हैं, वे निम्नानुसार हैं :–

1. किसी गैर हिन्दू धर्म में परिवर्तित सभी अछूत तथा,
2. ऐसे व्यवसायी समुदाय जो अपने परम्परागत पैतृक व्यवसायों के नाम से जाने जाते हैं और जिनके हिन्दू प्रतिरूप हिन्दूओं के अन्य पिछड़े वर्गो की सूची में सम्मिलित कर लिये गये हैं। (उदाहरणार्थः धोबी, तेली, ढीमर, नाई, गुजर, कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई आदि)।

शैक्षणिक पिछड़ेपन की जानकारी साक्ष्यों के माध्यम से तथा क्षेत्र भ्रमण के समय स्कूलों से प्राप्त जानकारी व आवेदित जाति द्वारा प्रस्तुत जानकारी को आधार मानकर किया जाता है। साथ ही शैक्षणिक व शासकीय सेवाओं के संबंध में जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर से भी मंगाई जाती है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश
पिछड़ा वर्ग ... संख्यक
कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

सचिव
मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
भोपाल